रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 21—नवम्बर 27, 2009 (कार्तिक 30, 1931)

No. 47] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 21—NOVEMBER 27, 2009 (KARTIKA 30, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 1003

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1083

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 75

भाग I--खण्ड-4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ··· 1725

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ...... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ .... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं......... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)....... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 4071

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस .... *

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ...... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 8941

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 387

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक .... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1003
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1083
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence......	75
PART I—SECTION 4 Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence....................	1725
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations............................	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills....................	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)............................	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)............................	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	4071
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..................	*
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners.........................	*
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies.......................	8941
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	387
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..................................	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त 2009

सं. 93-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री शेर सिंह थापा
चीफ फायर आफिसर
हिमाचल प्रदेश

श्री नबकृष्ण मिश्र
असिस्टेंट फायर आफिसर
उड़ीसा

श्री लक्ष्मी धर प्रधान
लिडिंग फायरमैन
उड़ीसा

श्री दाउद माथर खान
डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर
एन.एफ.एस.सी.
गृह मंत्रालय

श्री भोजराज रामभाऊ गाहने
जूनियर डेमोंस्ट्रेटर
एन.एफ.एस.सी.
गृह मंत्रालय

2. यह पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत् प्रदान किया जाता है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 94-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री अब्दुर रहमान
स्टेशन आफिसर
असम

श्री भूबन चन्द्र बसुमतारी
सब आफिसर
असम

श्री प्रबीन कुमार हलोई
फायरमैन
असम

श्री राज नारायण पाण्डे
ड्राईवर
असम

श्री अतुल गर्ग
डिविजनल आफिसर
दिल्ली

श्री थान सिंह शर्मा
डिविजनल आफिसर
दिल्ली

श्री प्रेम सिंह दहिया
असिस्टेंट डिविजनल आफिसर
दिल्ली

श्री माधब कुमार चट्टोपाध्याय
स्टेशन आफिसर
दिल्ली

श्री अशोक कुमार शर्मा
सब–आफिसर – 760
दिल्ली

श्री रतन सिंह
लिडिंग फायरमैन – 851
दिल्ली

श्री सत्यवान
लिडिंग फायरमैन – 86/50
दिल्ली

श्री देविन्द्र दत्त शर्मा
सब फायर आफिसर
हिमाचल प्रदेश.

श्री निसार अहमद
फायर स्टेशन आफिसर
कर्नाटक

श्री के. लिंगेगौड़ा
फायर स्टेशन आफिसर
कर्नाटक

श्री बी.एम. नंदेश्वरैयाह
असिस्टेंट फायर स्टेशन आफिसर
कर्नाटक

श्री जी. रंगास्वामैयाह
असिस्टेंट फायर स्टेशन आफिसर
कर्नाटक

श्री एन. गोवर्धन
असिस्टेंट फायर स्टेशन आफिसर
कर्नाटक

श्री के. येसु
असिस्टेंट फायर स्टेशन आफिसर
कर्नाटक

श्री के. नारायणप्पा
फायरमैन ड्राईवर – 654
कर्नाटक

श्री सथ्यन पेन्नापरामबिल कुट्टी
उप निदेशक (प्रशा.)
केरल

श्री वर्धिज मुण्डा पुझोल्हानन
असिस्टेंट डिविजनल आफिसर
केरल

श्री मुरलीधरन पट्टाथिल
लिडिंग फायरमैन
केरल

श्री अनन्त चरण सेठि
डिप्टी फायर आफिसर
उड़ीसा

श्री प्रसन्न कुमार पाढ़ि
असिस्टेंट फायर आफिसर
उड़ीसा

श्री संखा मराण्डी
हवलदार मेजर
उड़ीसा

श्री गणेश्वर साहू
ड्राईवर हवलदार
उड़ीसा

श्री रमेन्द्र कुमार सारंगी
लिडिंग फायरमैन
उड़ीसा

श्री सुनील कुमार मोहन्ती
फायरमैन
उड़ीसा

श्री टोपदेन भूटिया
सब फायर आफिसर
सिक्किम

श्री वेदाचेरी रामकृष्णन करूणानिधि
डिविजनल आफिसर
तमिलनाडु

श्री मुथियाह अय्यरसामी
डिविजनल आफिसर
तमिलनाडु

श्री अरूमुगम धानावेलु
स्टेशन आफिसर
तमिलनाडु

श्री सुदालियान्दी कोनार सुन्दरवन पेरूमल
लिडिंग फायरमैन – 3587
तमिलनाडु

श्री लोगानाथन सुकुमारन
लिडिंग फायरमैन – 3905
तमिलनाडु

श्री पोन्नुस्वामी सुब्रामणि
ड्राइवर मकैनिक – 3845
तमिलनाडु

श्री चिन्नाजी राव सिवाजी राव
ड्राइवर मकैनिक – 3330
तमिलनाडु

श्री हेन्तरी मासकेंस थिंगरन
यूजीआर स्टेशन आफिसर – 3326
तमिलनाडु

श्री सुब्बैयाह पिल्लई सोमू
फायरमैन ड्राईवर – 3336
तमिलनाडु

श्री दुरैराज रामसुब्रमनियन
फायरमैन ड्राईवर – 3342
तमिलनाडु

श्री जगनाथन कोथन्डपाणि
यूजीआर लिडिंग फायरमैन – 3828
तमिलनाडु

श्री किथेरियन फरनान्डो कूज विन्सेन्ट रोबर्ट
फायरमैन – 4026
तमिलनाडु

श्री कृष्णन शांमुगम
यूजीआर लिडिंग फायरमैन – 4259
तमिलनाडु

श्री हर लाल सरकार
स्टेशन आफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री तपन कुमार जाना
स्टेशन आफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री अभिजीत कुमार देब राय
मोबीलाईज़िंग ऑफिसर
पश्चिम बंगाल

श्री दिलिप कुमार नन्दि
फायर इंजिन आपरेटर कम ड्राईवर
पश्चिम बंगाल

श्री नीरज शर्मा
मुख्य प्रबंधक (अग्निशमन सेवायें)
ओएनजीसी, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री लख्खी राम दत्ता
अग्निशमन अधिकारी
ओएनजीसी, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री निरेन्द्र चन्द्रा दास
सहायक मुख्य निरीक्षक (अग्निशमन)
ओएनजीसी, पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

श्री राजेन्द्र कुमार
डिप्टी चीफ फायर आफिसर 'बी'
अणुशक्ति विभाग

2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत् प्रदान किया जाता है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 95-राष्ट्रपति/2009 - राष्ट्रपति, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

श्री नंदकुमार सहदेव पलांगे
ड्राईवर

दिनांक 19 सितम्बर, 2008 को गोदावरी नदी के किनारे, आसाराम बापू आश्रम और नासिक के गंगाजल क्षेत्र में 1600 बजे, 1630 बजे, 1730 बजे और 2100 बजे तेज बाढ़ आने की चार घटनाएं घटित हुई जिसके परिणामस्वरूप बाढ़ का पानी अचानक नदी के तट से 30 फीट ऊपर तक चढ़ गया और निकटवर्ती घरों में घुस गया। नासिक अग्निशमन सेवा के कर्मचारी बचाव वाहनों सहित तत्काल घटना स्थल पर गए।

2. घटनास्थल पर पहुंचने पर यह पता चला कि पांच व्यक्ति आश्रय लेने के लिए पेड़ों पर चढ़े हुए है और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ड्राईवर श्री पलांगे ने अपनी जान की परवाह किए बिना उफनते हुए पानी में छलांग लगा दी और रात के घने अंधेरे में कई बाधाओं के बीच 200 से 300 फीट का रास्ता तैर कर तय करने के लिए चार बार प्रयास किया और सभी पांच व्यक्तियों को सुरक्षित बचा लिया।

3. इस प्रकार, ड्राईवर श्री नंदकुमार पलांगे ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

4. ये पुरस्कार, वीरता के लिए राष्ट्रपति का अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3 (i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 19 सितम्बर, 2008 से इनके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 96-राष्ट्रपति/2009 - राष्ट्रपति, उड़ीसा अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारी को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

श्री बसन्त कुमार घदेई
फायरमैन सं0 1578

दिनांक 30 अगस्त, 2008 को 2025 बजे कटक अग्निशमन केन्द्र में एक विशेष सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति काठाजोडी नदी में डूब गया है। कटक अग्निशमन केन्द्र की एक यूनिट अपने दल के साथ तत्काल मौके पर पहुंची।

2. घटनास्थल पर पहुंचने पर यह पता चला कि लगभग 24 वर्षीय श्री देवी प्रसाद दास नाम का एक व्यक्ति भुवनेश्वर-कटक रोड पर बने काठाजोडी नदी के पुल से नीचे गिर गया है और पानी में एक खम्बे को पकड़े हुए अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। तत्काल ही श्री घदेई रस्सी की सीढ़ियों, रक्षा-बोया तथा रेस्क्यु लाईन की सहायता से फंसे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए नीचे उतरे। किन्तु इससे पहले कि श्री घदेई उस फंसे हुए व्यक्ति

के पास पहुंचते, पानी का एक तेज बहाव उस व्यक्ति को बहा ले गया। श्री घदेई अपनी जान को खतरे में डालते हुए रक्षा-बोया के साथ पानी में कूद गए और तैर कर डूबते हुए व्यक्ति के पास पहुंचे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उस व्यक्ति को बचाया, जो बेहोशी की हालत में था। श्री देवी प्रसाद दास का प्राथमिक चिकित्सा उपचार किया गया और भावी उपचार के लिए एस0सी0बी0 मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल, कटक भेजा गया। बचावकर्ता श्री घदेई, जो बेचैनी महसूस कर रहे थे, को भी आवश्यक उपचार के लिए पुलिस हॉस्पिटल, कटक भेजा गया।

3. इस प्रकार से श्री बसन्त कुमार घदेई, फायरमैन ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

4. यह पुरस्कार, वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किया जाता है और परिणामतः नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 30 अगस्त, 2008 से इसके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 97-राष्ट्रपति/2009 - राष्ट्रपति, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

श्री अनिल विष्णु सावंत
मुख्य अग्निशमन अधिकारी

श्री प्रताप दामोदर करगुपीकर
संयुक्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी

श्री सुधीर गोपाल अमीन
सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारी

श्री केतन फ्रांसिस डिसूजा
स्टेशन अधिकारी

श्री संजय वामन राणे
स्टेशन अधिकारी

श्री मोसेस एज्रीकिल पुगांवकर
ड्राईवर आपरेटर

श्री युवराज धनजीराव पवार
फायरमैन

दिनांक 26 से 28 नवम्बर, 2008 के बीच हुए आतंकवादी हमले के दौरान बड़ी संख्या में हुए विस्फोटों के परिणामस्वरूप ट्राईडेन्ट होटल, एन0एस0बी0 रोड, नरीमन प्वाईंट, मुम्बई, ताज पैलेस, अपोलो बंडर रोड, मुम्बई और सी0एस0टी0 रेलवे स्टेशन पर भयंकर आग लग गई। अपनी जान को गम्भीर जोखिम में डालकर मुख्य अग्निशमन अधिकारी, श्री अनिल विष्णु सावंत और मुम्बई अग्निशमन सेवा के ऊपर उल्लिखित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी, विभिन्न स्थानों पर दोनों ओर से हो रही भारी गोलीबारी के बीच आग बुझाने और वहां फंसे हुए निर्दोष लोगों को बचाने के कार्य में लगे थे। इन अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा आग को बुझाने और बचाव कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली लम्बी सीढ़ीयों और अन्य उपकरणों की सहायता से ऊपरी मंजिलों से लोगों को बचाने के लिए की गई साहसिक कार्रवाई को जनता द्वारा इलैक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सराहना की गई।

2. इस प्रकार, श्री अनिल विष्णु सावंत, मुख्य अग्निशमन अधिकारी; श्री प्रताप दामोदर करगुपीकर, संयुक्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी; श्री सुधीर गोपाल अमीन, सहायक मंडल अग्निशमन अधिकारी; श्री केतन फ्रांसिस डिसूजा, स्टेशन अधिकारी; श्री संजय वामन राणे, स्टेशन अधिकारी; श्री मोसेस एज़ीकिल पुगांवकर, ड्राईवर आपरेटर और श्री युवराज धनजीराव पवार, फायरमैन ने उत्कृष्ट वीरता, नेतृत्व, अदम्य साहस, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. ये पुरस्कार, वीरता के लिए अग्नि शमन सेवा पदक पुरस्कार को शासित करने वाली नियमावली के नियम 3(i) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5 (क) के तहत अनुमेय विशेष भत्ता दिनांक 26 नवम्बर, 2008 से इनके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं. 98-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री संत कुमार तंवर
इंस्पैक्टिंग आफिसर (होमगार्ड)
दिल्ली

डा0 मनोहर लाल गुप्ता
डिवीजनल वार्डन (सीडी)
दिल्ली

श्री अरविंद कुमार जैन
डिप्टी चीफ वार्डन (सीडी)
दिल्ली

श्री शिव शंकर एम.न.
कमांडेंट (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री पारस राम बंजारा
कंपनी कमांडर (होमगार्ड)
मध्य प्रदेश

श्री विवेकानन्द नरसिंह याते
क्वाटर मास्टर सूबेदार (होमगार्ड)
महाराष्ट्र

श्री मार्टिन लिंगदोह
कमांडर (बी.डबलू.एच.जी.)
मेघालय

श्री श्री ओम तिवारी
प्लाटून कमांडर (होमगार्ड)
उत्तर प्रदेश

श्री धर्मपाल गर्ग
चीफ वार्डन (सीडी)
उत्तर प्रदेश

श्री अनिल कुमार
चीफ वार्डन (सीडी)
उत्तर प्रदेश

श्री कैलाश दान चरण
डिवीजनल इंस्पेक्टर (सीडी)
रेल मंत्रालय

श्री सुभामोय घोष
सीडी वालिन्टियर
रेल मंत्रालय

श्री गुरदेव सिंह सैनी
निदेशक
एनसीडीसी, नागपुर

2. यह पुरस्कार, विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत् प्रदान किया जाता है।

संयुक्त सचिव

सं. 99-प्रेज/2009--राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिए गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं :--

श्री बिष्णु प्रसाद कलिता
डिविजनल वार्डन (होमगार्ड)
असम

श्री रंजीत कुमार सिन्हा
सीनियर डिविजनल कमांडेंट (होमगार्ड)
बिहार

श्री हरिनाथ झा
कमांडेंट (सीटीआई)
बिहार

श्री महेन्दर सिंह सिंघल
कंपनी कमांडर (वैतनिक)
दिल्ली

श्री तेज बहादुर लामा
पाईप बैंडमैन (होमगार्ड)
दिल्ली

श्री पजनाभैया खेमाभाई भागोरा
कंपनी सार्जेंट मेजर (होमगार्ड)
गुजरात

श्री दिनेशकुमार कालिदास वालंद
पाईप बैंडमैन (होमगार्ड)
गुजरात

श्री जेठाभाई रेवाभाई मकावाना
सीनियर प्लाटून कमांडर (होमगार्ड)
गुजरात

श्री हरेन्दरसिंह बापूसिंह जेला
कंपनी कमांडर (होमगार्ड)
गुजरात

श्री जिवाभाई मगनभाई गारो
सीनियर प्लाटून कमांडर (होमगार्ड)
गुजरात

श्री रच पाल नेप्ता
कंपनी कमांडर (होमगार्ड)
हिमाचल प्रदेश

श्री अलोक नन्दा
पोस्ट वार्डन (सीडी)
जम्मू एवं कश्मीर

श्री बसवाराज अन्दनप्पा गुलारेड्डी
कमांडेंट (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री वैंकटाछलैयाह मरियप्पा होसाकोर
प्लाटून कमांडर (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री पी.एल. भाटे
सीनियर प्लाटून कमांडर (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री एन.एस. लक्ष्मीनरसिंम्हा
सैकंड–इन–कमांड (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री बी.वी. नागेश
कंपनी कमांडर (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री रेवना सिद्देश्वरा
प्लाटून कमांडर (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री के.एस. श्रीधर
प्लाटून कमांडर (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री ए.एम. श्रीनिवास
डिप्टी कमांडेंट (होमगार्ड)
कर्नाटक

श्री सैयद जावेद
डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट (हो.गा.)
मध्य प्रदेश

श्री हरीश चन्द्र गौड़
कंपनी कमांडर (होमगार्ड)
मध्य प्रदेश

श्री वीरपाल सिंह भदोरिया
सब–इंपेक्टर (एम)
मध्य प्रदेश

श्री भीका विट्ठल सोनावने
आफिसर कमांडिंग (हो.गा.)
महाराष्ट्र

श्री सुभाष नारायण घोले
सीनियर प्लाटून आफिसर/प्रशानिक अधिकारी (हो.गा.)
महाराष्ट्र

श्री भाटू पुंडलिक शेलर
कंपनी कमांडर (होमगार्ड)
महाराष्ट्र

श्री मोबिनूर हबीबुर रहमान
प्लाटून कमांडर (होमगार्ड)
महाराष्ट्र

श्री प्रिया विलास खेड़कर
ओनरेरी इंस्ट्रक्टर (सीडी)
महाराष्ट्र

श्री मनोहर आनंद गड़े
सीनियर स्टाफ आफिसर (आई.)
महाराष्ट्र

श्री रविन्द्र नारायण कुदी
सीनियर असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर (सीडी)
महाराष्ट्र

श्री रामचन्द्र विष्णु देसाई
फायर/ रेस्क्यू लीडर
महाराष्ट्र

श्री स्नियाब्मलंग रंगद
डिप्टी कंट्रोलर (सीडी)
मेघालय

श्री ओमर थोमसन शांगप्लियांग
असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर (सीडी)
मेघालय

श्री अरूण कुमार पटनायक
सी.डी. वालियन्टिर
उड़ीसा

श्री सहारिया छुरा
सी.डी. वालियन्टिर
उड़ीसा

श्री भोला नाथ मेहता
डिप्टी चीफ वार्डन (सीडी)
पंजाब

श्री सुरिन्दर पाल
कंपनी कमांडर (होमगार्ड)
पंजाब

श्री पूरन सिंह शेखावत
डिप्टी कमांडेंट (होमगार्ड)
राजस्थान

श्री मूल चन्द वर्मा
कंपनी कमांडर (होमगार्ड)
राजस्थान

श्री आर.पी. राममूर्थि
प्लाटून कमांडर (होमगार्ड)
तमिलनाडु

श्री के.बी. ग्नानासेकरन
असिस्टेंट प्लाटून कमांडर (होमगार्ड)
तमिलनाडु

श्री पी.आर. भासकरण
कंपनी कमांडर (होमगार्ड)
तमिलनाडु

श्री डी. रंगानाथन
प्लाटून कमांडर (होमगार्ड)
तमिलनाडु

श्रीमती एम. बंगाराम्मल
प्लाटून कमांडर (होमगार्ड)
तमिलनाडु

श्री रमेन्द्र विसवास
होमगार्ड
त्रिपुरा

श्रीमती सिखा गुहा
होमगार्ड
त्रिपुरा

श्री रविन्द्र नाथ पाण्डेय
डिवीजनल वार्डन (सीडी)
उत्तर प्रदेश

श्री सुधीर कुमार सक्सैना
डिवीजनल वार्डन (सीडी)
उत्तर प्रदेश

श्री कार्तिक चन्द्र हलदर
सी.डी. वालियन्टिर
रेल मंत्रालय

डा0 मुकुन्द गोविन्द अठावले
डिप्टी डायरेक्टर (मेडिकल)
एनसीडीसी, नागपुर

2. यह पुरस्कार सराहनीय सेवाओं के लिए गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3 (ii) के तहत् प्रदान किया जाता है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 100-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति महाराष्ट्र होमगार्ड्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

श्री उत्तम विष्णु सासुलकर
होमगार्ड्स

श्री विश्वेश्वर शिशुपाल पचाराणें
होमगार्ड्स

दिनांक 26 नवम्बर, 2008 की रात्रि के 8.00 बजे से यह दोनों छत्रपति शिवाजी रेलवे टर्मिनस पर सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक लगभग 9.40 बजे आतंकवादियों ने प्लेटफार्म पर मौजूद लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी, जिससे लोगों में अफरा तफ़री मच गई और बहुत से लोग बुरी तरह जख्मी हो गयें और जिसको जिधर भी सुरक्षा दिखाई दी, उधर हीं भागने लगे। अधिकतर लोग वस्तुस्थिति से अवगत नहीं थे और गोलियों की आवाज सुनकर भयभीत हो गये थे। श्री उत्तम विष्णु सासुलकर और श्री विश्वेश्वर शिशुपाल पचाराणें ने अपनी सूझबूझ से स्थिति को भांपा और यात्रियों और आम लोगों को सही निर्देश देते हुए सुरक्षित स्थान की ओर जाने में मदद की और उन्हें खतरनाक स्थान से दूर किया। इन दोनों ने अदम्य साहस का

प्रदर्शन करते हुए गोलियों की बौछार की परवाह न करते हुए लोगों को सही दिशा निर्देश देते हुए उनकी जान बचाने की बेजोड़ कोशिश की। यह सब करते हुए इन्होंनें आतंकवादियों की हरकतों का भी लगातार ध्यान रखा, जिससे इनको सुरक्षित स्थानों का चयन करने में कामयाबी हासिल हुई और अनगिनत लोगों के जीवन को संकट से बचाया। इस अथक प्रयास के दौरान, यह दोनों आतंकवादियों की गोलियों से गम्भीर रूप से घायल हो गये लेकिन अपने प्राणों की चिंता त्याग कर यह जनता का सही मार्गदर्शन करते रहे।

2. इस प्रकार श्री उत्तम विष्णु सासुलकर, होमगार्ड्स एवं श्री विश्वेश्वर शिशुपाल पचाराणें, होमगार्ड्स ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. ये पुरस्कार, वीरता के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामत: नियम 5 के तहत अनुमेय विशेष भत्ता इसके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 101-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति महाराष्ट्र होमगार्ड्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

श्री प्रकाश रावसाहेब देशमुख
असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर (फायर), सिविल डिफेन्स

श्री रामचन्द्र विष्णु देसाई
लीडर (फायर एण्ड रेसक्यू), सिविल डिफेंस

श्री बाबूराव रमाकान्त तामनेकर
फायरमैन/रेसक्यअर, (सिविल डिफेन्स)

श्री राजेन्द्र बबन लाड
फायरमैन/रेसक्यअर्, (सिविल डिफेन्स)

दिनांक 27 नवम्बर, 2008 को लगभग प्रात. 11.00 बजे जब ये ड्यूटी पर तैनात थे तब इन्हें नागरिक सुरक्षा नियंत्रन कक्ष से सूचना मिली कि ताज होटल पर आतंकवादियों ने आक्रमण कर वहां कब्जा जमा लिया है और इन्हें तुरन्त वहां पहुंच कर फंसे लोगों की यथासंभव सहायता करने का ओदश प्राप्त हुआ। ये लोग तत्परता से ताज होटल पहुंचे और बचाव व राहत कार्य में जुट गये। इन लोगों ने अथक प्रयत्नों से बहुत लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इन्होंने कुछ लोगों, जो मृत या घायल थे, उन्हें खुली जगह (कोरीडोर) इत्यादि जैसी जगहों से हटाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जहां उनका यथासंभव उपचार किया जा सके। इस प्रकार आतंकवादियों की रूक

रूक कर की जा रही गोलियों की बौछार और हथगोलों के आक्रमण की परवाह न करते हुए इन लोगों ने न केवल लोगों की जान बचाई बल्कि एन.एस.जी. के कमांडो और ए.टी.एस. के जांबाजों के लिये रास्ता साफ किया जिससे कि यह लोग बिना किसी रूकावट के आतंकवादियों के विरूद्ध कारगर कार्यवाही कर सकें। इसके अलावा इन लोगों ने मुंबई फायर सर्विस के लोगों के साथ मिलकर ताज होटल के कई हिस्सों में जो आग लगी थी, उसे बुझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार 52 घंटों से ज्यादा समय तक (27 नवम्बर 11.00 बजे सुबह से 29 नवम्बर, 3.00 बजे अपराहन तक) अपने प्राणों की चिन्ता न करते हुए बहुत कम नींद व विश्राम के साथ लगातार अनगिनत लोगों के जीवन को बचाने और ताज होटल में लगी भीषण आग पर काबू करने का अतुलनीय और सराहनीय कार्य सम्पन्न किया।

2. इस प्रकार श्री प्रकाश रावसाहेब देशमुख, असिस्टेंट डिप्टी कंट्रोलर (फायर), सिविल डिफेन्स, श्री रामचन्द्र विष्णु देसाई, लीडर (फायर एण्ड रेसक्यू), सिविल डिफेंस, श्री बाबूराव रमाकान्त तामनेकर, फायरमैन/रेसक्यअर, (सिविल डिफेन्स), श्री राजेन्द्र बबन लाड, फायरमैन/रेसक्यअर्, (सिविल डिफेन्स) ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. ये पुरस्कार, वीरता के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5 के तहत अनुमेय विशेष भत्ता इसके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 102-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, महाराष्ट्र होमगार्ड्स के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करती हैं:-

श्री राजाराम नामदेओ कदम
लीडर (फायर एण्ड रेसक्यू), सिविल डिफेन्स

श्री प्रह्लाद मोरेश्वर महात्रे
फायरमैन/रेसक्यअर् (सिविल डिफेन्स)

दिनांक 26 नवम्बर, 2008 को लगभग रात्रि 9.30 बजे ये ड्यूटी पर तैनात थे, तब इन्हें नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि छत्रपति शिवाजी रेलवे टरमिनस पर आतंकवादियों ने आक्रमण कर दिया है और उन्हें तुरन्त वहां पहुंचकर लोगों की यथा संभव सहायता करने का आदेश प्राप्त हुआ। ये लोग तत्परता से छत्रपति शिवाजी रेलवे टरमिनस पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता लगा कि आतंकवादी कामा हस्पताल की ओर चले गये हैं। लेकिन वो अपने पीछे बहुत लोगों को मृत व घायल अवस्था में रेलवे स्टेशन व प्लेटफार्मों पर छोड़ गये थे। इन लोगों ने गम्भीर रूप से घायल कई लोगों को शीघ्रता से हस्तपताल पहुंचाया जिसके कारण उनका जीवन बचाया जा सका। उसके उपरांत उन्हें नागरिक सुरक्षा नियंत्रक कक्ष से फिर आदेश

मिला कि वे तुरन्त ताज होटल पहुंचे, जहां पर भी आतंकवादियों ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया है। ये लोग तुरन्त ताज होटल के लिये प्रस्थान कर गये और वहां पहुंचकर बचाव व राहत कार्य में जुट गये। इन लोगों ने अथक प्रयत्नों से बहुत लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इन्होंने कुछ लोग, जो मृत या घायल थे, उन्हें खुली जगह (कोरीडोर) इत्यादि जैसी जगहों से हटाकर सुरक्षित जगह पहुंचाया जहां उनका यथासंभव उपचार किया जा सके। इस प्रकार आतंकवादियों की रूक रूक कर की जा रही गोलियों की बौछार की परवाह न करते हुए इन लोगों ने न केवल लोगों की जान बचाई बल्कि एन.एस.जी. के कमांडो और ए.टी.एस. के जांबाजों के लिये रास्ता साफ किया जिससे कि ये लोग बिना किसी रूकावट के आतंकवादियों के विरूद्ध कारगर कार्यवाही कर सकें। इसके अलावा इन लोगों ने मुंबई फायर सर्विस के लोगों के साथ मिलकर ताज होटल के कई हिस्सों में जो आग लगी थी, उसे बुझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार लगभग 65 घंटों तक (26 नवंबर 9.30 बजे से 29 नंवम्बर, 3.00 बजे अपराहन तक) अपने प्राणों की चिन्ता न करते हुए बहुत कम नींद व विश्राम के साथ लगातार अनगिनत लोगों के जीवन को बचाने और ताज होटल में लगी भीषण आग पर काबू करने का अतुलनीय और सराहनीय कार्य सम्पन्न किया।

2. इस प्रकार श्री राजाराम नामदेओ कदम, लीडर (फायर एण्ड रेसक्यू), सिविल डिफेन्स, श्री प्रह्लाद मोरेश्वर महात्रे, फायरमैन/रेसक्यअर् (सिविल डिफेन्स) ने उत्कृष्ट वीरता, अदम्य साहस, नेतृत्व, व्यवसायिक कुशलता और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

3. ये पुरस्कार, वीरता के लिए राष्ट्रपति का गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक पुरस्कार को शासित करने वाले नियमों के नियम 3(ii) के तहत प्रदान किये जाते हैं और परिणामतः नियम 5 के तहत अनुमेय विशेष भत्ता इसके साथ देय होगा।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 103-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति स्वतंत्रता दिवस 2009 के अवसर पर निम्नलिखित अफसरों को सराहनीय सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करती हैं:-

(क) उपमहानिरीक्षक अशोक कुमार (4005-सी)
(ख) कमांडेंट मनोज कुमार पाढ़ी (5025-एस)

2. तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान करने से संबद्ध नियम 11(ii) के तहत तटरक्षक पदक (सराहनीय सेवा) प्रदान किया जाता है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

स0 104-प्रज/2009 - राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस 2009 के अवसर पर कमांडेंट दीपक शर्मा, टी एम (0332-डी) को शौर्य प्रदर्शन के लिए तटरक्षक पदक का बार प्रदान करती हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

कमांडेंट दीपक शर्मा, टी एम (0332-डी) ने 12 जुलाई 1992 को भारतीय तटरक्षक के कार्यकारी शाखा में सहायक कमांडेंट के रूप में सेवा आरंभ की।

2. 25 जून 2009 को, 850 स्क्वाड्रन (तटरक्षक) पोरबंदर को वाणिज्यिक पोत एम एस वी सफ़ीना हुसैनी तथा एम एस वी ख्वाजा-अल-करम, जो गुजरात तट के पास डूब गए थे, के कर्मियों की खोज एवं बचाव का कार्यभार सौंपा गया। मौसम चक्रवाती हवाओं के साथ तूफानी था। 30 मिनट की व्यापक हवाई खोज के उपरांत, पोत एम वी सफीना हुसैनी के साथ संपर्क स्थापित हो सका। पोत तटवर्ती रेखा से 25 समुद्री मील की दूरी पर था। चूंकि, हेलिकॉप्टर द्वारा पोत को ऊपर खींचा जाना व्यावहारिक नहीं था, इसलिए कमांडेंट दीपक शर्मा ने पोत को क्षेत्र में सदिश किया तथा हेलिकॉप्टर को स्थिति के नजदीक बनाए रखा। मौके पर पहुंचकर भारतीय तटरक्षक पोत संग्राम ने सभी 11 उत्तरजीवियों का बचाव कर लिया।

3. 26 जून 2009 को, तटरक्षक हेलिकॉप्टर-851 ने पोत एम एस वी ख्वाजा-अल-करम के खोज एवं बचाव के लिए पुन: उड़ान भरी। समुद्री-हवाई समन्वित खोज के परिणामस्वरूप पोत मलबे को पकड़े हुए 09 उत्तरजीवियों को ढूंढ लिया गया। अफसर ने उत्तरजीवियों को विमान में खींचने का निर्णय लिया। किंतु विंच अभियान करने के दौरान, पिछला घूर्णक संपदन चेतावनी तंत्र (टी आर वी डब्ल्यू एस) अंबर लाईट जल उठी, जो आसन्न आपात स्थिति को इंगित कर रही थी। हेलिकॉप्टर की सुरक्षा के लिए तुरंत कार्रवाई आवश्यक थी। खराब मौसमी परिस्थितियों तथा पोत की डैक पर ध्रुव हेलिकॉप्टर उतारने में अनर्हक होने के बावजूद भी अफसर ने क्षेत्र में मौजूद भारतीय तटरक्षक पोत संग्राम पर निपुणता से हेलिकॉप्टर को उतार दिया।

4. विपरीत परिस्थितियों में कमांडेंट दीपक शर्मा, टी एम (0332-डी) द्वारा प्रदर्शित समर्पण, सटीक पहल, निष्ठा तथा व्यावसायिकता समुद्री सेवा की उच्च परंपराओं के अनुरूप है, फलस्वरूप अफसर को तटरक्षक पदक (शौर्य) का बार प्रदान की जाती है।

5. तटरक्षक पदक प्रदान करने से संबद्ध नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक प्रदान किया जाता है तथा बाद में तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को नियम 13 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी देय है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

स0 105-प्रज/2009 - राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2009 के अवसर पर उप कमांडेंट अरविंद कुमार त्यागी (0603-एस) को शौर्य प्रदर्शन के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करती हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

उप कमांडेंट अरविंद कुमार त्यागी (0603-एस) ने 15 जुलाई 2002 को भारतीय तटरक्षक के कार्यकारी शाखा में सहायक कमांडेंट के रूप में सेवा आरंभ की।

2. इनके प्रभावी निष्पादन के आधार पर 26 जून 2008 को इन्हें अंतर्रोधी पोत सी-140 की कमान के लिए चुना गया। 08 जनवरी 2009 को 1045 बजे आसूचना विभाग ने कुछ विदेशी नागरिकों सहित एक अंजान नौका को देखे जाने की सूचना दी। अफसर ने सूचना मिलते हीं पोत को रिकार्ड समय में संचालन करने के लिए तैयार कर लिया तथा 15 मिनट के भीतर हीं नौचालन शुरु किया। अफसर ने प्रतिकूल समुद्री स्थिति का साहसपूर्वक सामना किया तथा अनाधिकृत रूप से घुसपैठ कर रहे 61 बांग्लादेशी आप्रवासियों को नौका सहित ढूंढ लिया। इन बांग्लादेशियों ने 01 जनवरी 2009 को 2345 बजे कोक्स बाजार, बांग्लादेश से इस आशय के साथ प्रस्थान किया था कि वे थाईलैंड से होते हुए मलेशिया में स्थानांतरित होंगे। चूंकि पोत पर केवल 06 कर्मी मौजूद थे तथा 61 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार करने का निर्णय लेना कठिन था, अफसर ने साहस करके परिकल्पित जोखिम के साथ सभी अनाधिकृत आप्रवासियों को नौका के साथ गिरफ्तार कर लिया।

3. यह जानते हुए कि अत्यधिक खराब मौसम में विशेषकर रात में, कर्षण अभियान के लिए अंतर्रोधी नौका उपयुक्त नहीं है, फिर भी अफसर ने नौका खींचने में अत्यंत कुशल नेतृत्व का प्रदर्शन किया। नौका तथा 61 बांग्लादेशी नागरिकों को पोर्टब्लेयर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

4. 26/11 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के उपरांत अफसर ने अंडमान एवं निकोबार द्वीपों की तटवर्ती सुरक्षा बढ़ाने में अपंजीकृत मछुवाही नौकाओं के पंजीकरण को सुप्रवाही कर ड्यूटी के प्रति निष्ठा को पुनः प्रदर्शित किया। अफसर ने अपंजीकृत 12 नौकाओं को 36 कर्मियों के साथ गिरफ्तार किया। अफसर की पहलात्मक कार्रवाई ने राज्य सरकार के स्थानीय एजेंसियों को, दिशा-निर्देश जारी करने के लिए विवश कर दिया।

5. उप कमांडेंट अरविंद कुमार त्यागी (0603-एस) ने स्वयं को प्रत्यायित किया, इसलिए अफसर को तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान की जाती है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने से संबद्ध नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक प्रदान किया जाता है तथा बाद में तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को नियम 13 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी देय है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 106-प्रेज/2009 - राष्ट्रपति, स्वतत्रता दिवस 2009 के अवसर पर मनीष, नाविक(क्यूए-II)(05211-टी) को शौर्य प्रदर्शन के लिए तटरक्षक पदक प्रदान करती हैं।

प्रशस्ति उल्लेख

मनीष, नाविक (क्यूए-II)(05211-टी) ने 01 फरवरी 2005 को भारतीय तटरक्षक में नाविक (सामान्य ड्यूटी) के रूप में सेवा आरम्भ की।

2. 25 जून 2009 को भारतीय तटरक्षक पोत संग्राम गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में सामान्य गश्त कर रहा था। पोत को वाणिज्य पोत एम एस वी सफीना हुसैनी तथा एम एस वी ख्वाजा-अल-करम के डूबने और उनके कर्मियों के पोत को त्यागने संबंधी एक संकट संदेश प्राप्त हुआ।

3. तूफानी मौसम के बावजूद मनीष, नाविक(क्यूए-II)(05211-टी) ने पोत की जेमिनी के पास पहुंचने का साहस किया तथा उनकी मोटरों को चालू करके परीक्षण किया। तदनुपरांत, उसने बचाव अभियान के लिए दो जेमिनी क्रॉफ्टों को तैयार किया। पोत ने एम एस वी सफीना हुसैनी को ढूंढ लिया, किन्तु हाथ से अथवा लाइन क्षेपण राइफल द्वारा बचाव-रस्सी पकड़ाने के सभी प्रयास निष्फल साबित हुए। मनीष तुरंत ही दो थैलों में 11 प्राण रक्षी जैकेटों को लेकर, हताश कर्मियों की ओर फेकने के उद्देश्य से, हेलिकॉप्टर के डैक की ओर दौड़ पड़ा। नाविक ने दो थैलों को बिल्कुल ठीक समय पर फेंका क्योंकि नौका पोत से दूर बहने की स्थिति में हो गई थी।

4. नाविक ने तत्पश्चात संकटग्रस्त पोत के पास जाने के लिए एकसाथ दो जेमिनी क्राफ्टों को रवाना करने के लिए निर्देशित किया ताकि तैर रहे तथा निराश हो चुके सभी 09 कार्मिकों का बचाव शीघ्रातिशीघ्र किया जा सके। स्वयं गोताखोर होने के कारण इन्होंने बचाव नौका से पर्याप्त कर्मियों की संख्या को कम कर दिया ताकि अधिकतम उत्तरजीवियों का बचाव किया जा सके।

5. मनीष, नाविक(क्यूए-II)(05211-टी) द्वारा प्रदर्शित और समय पाबंदी की भावना के साथ केंद्रित दृष्टिकोण तथा सशक्त दृढ़संकल्प द्वारा 20 उत्तरजीवियों को बचाने का प्रयास, सेवा की उच्च परंपराओं के अनुरूप है, इसलिए इन्हें तटरक्षक पदक (शौर्य) प्रदान की जाती है।

6. तटरक्षक पदक प्रदान करने से संबद्ध नियम 11(i) के तहत तटरक्षक पदक प्रदान किया जाता है तथा बाद में तटरक्षक पदक (शौर्य) प्राप्त करने वाले तटरक्षक कार्मिकों को नियम 13 के अंतर्गत विशेष भत्ता भी देय है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 107-प्रेज़/2009-राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2009 के अवसर पर श्री प्रफुल्ल कुमार साहु, जेलर-सह-अधीक्षक, पटनागढ़ उप-जेल, उड़ीसा को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करती हैं।

2. ये पुरस्कार विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करने को शासित करने संबंधी नियमों के नियम 4 के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 108-प्रेज़/2009-राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2009 के अवसर पर निम्नलिखित जेल कार्मिकों को सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करती हैं.-

श्री गोवर्धन सिंह शोरी
उप जेलर
जिला जेल, महासमुंद
छत्तीसगढ़

श्री तिलक चंद कचलारिया
वार्डर
सेंट्रल जेल, दुर्ग
छत्तीसगढ़

श्री विजय गोस्वामी
उपाधीक्षक
सेंट्रल जेल, तिहाड़
नई दिल्ली

श्री प्रदीप शर्मा
उपाधीक्षक
सेंट्रल जेल नं. 2, तिहाड़
नई दिल्ली

श्री भोजराज प्रधान
हेड वार्डर
सम्बलपुर सर्किल जेल
उड़ीसा

श्री अर्जुन मल्लिक
वार्डर
ढेंकनाल जिला जेल
उड़ीसा

श्री पेमा वांगयाल भूटिया
सहायक उप जेलर
सेंट्रल जेल, रोंगयेक
सिक्किम

श्री आर. दुरईस्वामी
उप कारागार महानिरीक्षक
चेन्नई रेंज
तमिलनाडु

श्री पी. गोविंदराजन
अपर कारागार अधीक्षक
केन्द्रीय कारागार, कोयम्बटूर
तमिलनाडु

श्रीमती आई. सुब्बुलक्ष्मी
मुख्य हेड वार्डर
विशेष महिला उप-जेल, कोक्किराकुलम
तमिलनाडु

2. ये पुरस्कार सराहनीय सेवाओं के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करने को शासित करने संबंधी नियमों के नियम 4(iii) के अंतर्गत प्रदान किये जाते हैं।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 109-प्रेज़/2009-राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2009 के अवसर पर श्री लाला राय, वार्डर, जिला जेल, जोवई, मेघालय को मरणोपरांत शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करती हैं।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया है:

दिनांक 13 सितम्बर, 2008 को प्रात: लगभग 7.40 बजे श्री लाल राय, वार्डर ने वार्डरों की ड्यूटी बदलने के लिए जिला जेल, जोवई के अन्दरूनी गेट के बाहरी ताले को खोला। अचानक 12 कैदी, जिन्होंने जेल से भागने को षडयंत्र रचा हुआ था, मेन गेट की ओर भागे तथा उसे बलपूर्वक खोल दिया। वार्डर लाल राय ने कैदियों को भागने से रोकने के लिए प्रयास किए जिनके प्रत्युत्तर में उन पर हमला किया गया तथा कैदियों ने उन्हें काबू में कर लिया। अपने साहसी प्रयासों से इन कैदियों के साथ जूझने तथा उन्हें भागने से रोकने के क्रम में श्री राय को शारीरिक चोटें पहुंची। हालांकि वे बुरी तरह से घायल हो चुके थे फिर भी उन्होंने उनसे संघर्ष करना जारी रखा तथा सहायता के लिए आवाज दी। उनकी चीखों ने जेल परिसर की निगरानी कर रहे सुरक्षा बलों को सतर्क कर दिया और भागने की योजना को निष्फल कर दिया गया। श्री लाला राय, जो हमले में गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, की बाद में मृत्यु हो गई।

2. जिला जेल, जोवई में वार्डर के पद पर तैनात रहते हुए श्री लाला राय ने अपनी अंतिम सांस तक वर्दी की उच्चतम परम्परा को कायम रखते हुए ईमानदारी और बहादुरी के साथ अपनी ड्यूटियों का निर्वहन किया और इस प्रकार "मृत्यु पर्यन्त सेवा" करते हुए परम बलिदान दिया।

3. यह पुरस्कार शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने संबंधी नियमों के नियम 4(iv) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप 13 सितम्बर, 2008 से नियमों के अंतर्गत यथा अनुमेय विशेष भत्ता भी प्रदान किया जाता है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

सं0 110-प्रेज़/2009-राष्ट्रपति, स्वतंत्रता दिवस, 2009 के अवसर पर श्री सियामा सियामटिया सियामन्गिल्हिलोवा, वार्डर, सेंटल जेल आइजौल, मिजोरम को शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करती हैं।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए अलंकरण प्रदान किया गया है:

दिनांक 22.07.2008 को दो अपराधी सेंट्रल जेल, आइजौल से भाग गए। इन अपराधियों को पकड़ने के लिए आइजौल जेल के विशेष अधीक्षक द्वारा खोजी पार्टियां भेजी गई। एक छिपने के ठिकाने, जहाँ ये अपराधी छिपे थे, वहाँ तलाशी अभियान चलाने के दौरान श्री सियामा सियामटिया सियामन्गिल्हिलोवा ने बलपूर्वक इस मकान का दरवाजा खोल दिया और बगैर किसी शस्त्र के इन अपराधियों पर हमला बोल दिया तथा निहत्थे हीं इनमें से एक अपराधी को पकड़ लिया।

2. इस प्रकार श्री सियामा सियामटिया सियामन्गिल्हिलोवा ने अदम्य शौर्य, साहस और कर्तव्य के लिए निष्ठा का परिचय दिया।

3. यह पुरस्कार शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने संबंधी नियमों के नियम 4(iv) के अंतर्गत प्रदान किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप 22.07.2008 से नियमों के अंतर्गत यथा अनुमेय विशेष भत्ता भी प्रदान किया जाता है।

बरूण मित्रा
संयुक्त सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 नवम्बर 2009

सं.पीएफजी (705)/2009)-प्रशा-II.........केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 209 क की उप-धारा(1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रादेशिक निदेशक कार्यालय (दक्षिणी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय ,चेन्नई में सहायक निदेशक श्रीमती सुकन्या नरसिम्हन को एतदद्वारा उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किया जाता है।

जे. एस. गुप्ता
अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्तूबर 2009

संकल्प

सं. एफ. 4-1/2009 -यू.3

जबकि भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली को दिनांक 19 सितम्बर, 2009 को संघ के ज्ञापन के नियम 3 तथा भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के विनियमो के तहत पुनर्गठित किया गया था;

और जबकि, प्रो. मृणाल मिरि को सरकार द्वारा परिषद् का एक सदस्य नामित किया गया था;

और जबकि, प्रो. मृणाल मिरि ने परिषद् के सदस्य के रूप में कार्यभार गृहण करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है, इसलिए एक पद खाली हो गया है।

तद्नुसार, संघ के ज्ञापन के विनियम 5 (3) के साथ पठित विनियम 3 (ग) तथा भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद् के विनियमो के प्रावधान के अनुसार, भारत सरकार एतद्द्वारा प्रो0 सुजाता मिरि को प्रो0 मृणाल मिरि के स्थान पर सदस्यता की शेष अवधि के लिए परिषद् का सदस्य नियुक्त करती है।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

उपमन्यु बसु
निदेशक (आई.सी.आर.)

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 नवम्बर 2009

सं. एफ, 12-30/2006-ए एण्ड ए । भारत सरकार, अनुसंधान, सर्वेक्षणों और अन्य कार्यकलापों से सम्बंधित कार्यक्रमों पर भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सलाह देने के लिए, निम्नलिखित संघटन के अनुसार भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण हेतु सलाहकार समिति का पुनर्गठन करती है ।

क्रम सं.	सदस्य	
1.	सचिव, संस्कृति मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	डॉ0 आई0 जे0 एस0 बंसल, अध्यक्ष, पंजाब विज्ञान अकादमी , 50, रंघबीर नगर, पटियाला (पंजाब)- 147001	सदस्य
3.	डॉ0 इंदिरा बरूआ प्रोफेसर मानवविज्ञान विभाग, डिब्रूगढ. विश्वविद्यालय, डिब्रूगढ. -786004 (असम)	सदस्य
4.	डॉ0 डी0 के0 भटटाचार्या, सेवानिवृत मानवविज्ञान प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, 33, उत्तरांचल सोसायटी 5- पटपड़गंज दिल्ली-110092	सदस्य
5.	डॉ0 अजित के0 दांडा सदस्य सचिव, आईएनसीएए, 225, कदम कानोन, झारग्राम (प. बंगाल) 721507	सदस्य
6.	डॉ0 प्रदीप्त किशोर दास, प्रोफेसर मानवविज्ञान विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर-751004, उड़ीसा	सदस्य
7.	डॉ0 रजत कांति दास मानद प्रोफेसर, विद्या सागर विश्वविद्यालय, फलैट 2ए, बाणी अपार्टमेंट, 9 ए, एस. एम. पांडे सरनि, बैरक पुर 720120 (पू. बंगाल)	सदस्य
8.	डॉ0 सी0 जी0 हुसैन खान, अध्यक्ष तथा प्रोफेसर मानवविज्ञान विभाग, कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़-58003 (कर्नाटक)	सदस्य

9.	डॉ0 कमल के0 मिश्रा, प्रोफेसर मानवविज्ञान विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद -500046 (आंध्र प्रदेश)	सदस्य
10.	डॉ0 के0 शरतचन्द्र सिंह, मानद प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय, एसआई के0 ए0 स्कूल काम्पलैक्स , लोकलववंग, इम्फाल-795001 (मणिपुर)	सदस्य
11.	डॉ0 इन्दू तलवार, प्रोफेसर, मानवविज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ -160014 (चंडीगढ़)	सदस्य

पदेन सदस्य :

1.	प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष, मानवविज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली - 110007	सदस्य
2.	निदेशक पुरातत्व विभाग, डेक्कन कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे-411006	सदस्य
3.	महानिदेशक भारतीय पुरात्तव सर्वेक्षण जनपथ, नई दिल्ली-110011	सदस्य

4.	महानिदेशक इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अंसारी नगर, पोस्ट बॉक्स सं. 4911, नई दिल्ली-110029	सदस्य
5.	सदस्य सचिव इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, अरुणा आसिफ अली मार्ग, पोस्ट बॉक्स सं. 10528, नई दिल्ली-110067	सदस्य
6.	सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी बी टी), ब्लॉक -II, सी जी ओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003	सदस्य
7.	सलाहकार (अ.जा/अ.ज.जा) योजना आयोग, 454, योजना भवन नई दिल्ली-110001	सदस्य
8.	निदेशक भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 27, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता-700016	सदस्य सचिव

सलाहकार समिति के विचारार्थ विषय

(i) भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अनुसंधान के कार्यक्रमों, सर्वेक्षणों तथा अन्य कार्यकलापों की समय-समय पर समीक्षा और सरकार को उन पर सिफारिश करना ।

सहयोगशील अनुसंधान विषयों, कार्मिकों के आदान-प्रदान, विशेष अध्ययनों, संगोष्ठियों, परिसंवाद और प्रकाशनों के विशेष संदर्भ में भारतीय मानव सर्वेक्षण और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय विभागों के बीच सहयोग हेतु विशिष्ट उपाय की सिफारिश करना, तथा

(ii) ऐसे अन्य सभी मामलों पर सलाह देना जो इसे सरकार द्वारा विशेष रूप से सौंपे जा सकते हैं

(iii) सलाहकार समिति के सदस्यों का कार्यकाल इस संकल्प के भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पॉच वर्ष का होगा । तथापि, सरकार किसी भी सदस्य की सदस्यता, उसका कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व कोई कारण बताए बिना समाप्त कर सकती है अथवा सलाहकार समिति का पूर्णतया पुनर्गठन कर सकती है ।

(iv) समिति की बैठक आवश्यकतानुसार लेकिन कम से कम तीन माह में एक बार अवश्य होनी चाहिए । यदि यह संभव नहीं होता है, तो निदेशक, मानवविज्ञान सर्वेक्षण, सदस्य सचिव के नाते उपर्युक्त समय पर परिस्थितियों से अवगत कराएगा तथा सलाहकार समिति की निर्धारित तिमाही बैठक आयोजित नहीं करने के लिए पहले से अनुमति प्राप्त करेगा ।

(v) यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करने में असमर्थ है तो इसकी अध्यक्षता संस्कृति मंत्रालय में अभिलेख तथा मानवविज्ञान प्रभाग को डील करने वाले संयुक्त सचिव द्वारा की जाएगी । उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता लब्ध प्रतिष्ठित मानव विज्ञानी डा0 अजीत के दांडा द्वारा की जाएगी ।

<u>आदेश</u>

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वर्षा सिन्हा
अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 2009

No. 93-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the President's Fire Service Medal for Distinguished Service to the undermentioned officers :—

Shri Sher Singh Thapa
Chief Fire Officer
Himachal Pradesh

Shri Naba Krushna Mishra
Asstt. Fire Officer
Orissa

Shri Laxmi Dhar Pradhan
Leading Fireman
Orissa

Shri Dawood Mathar Khan
Dy. Asstt. Director
N.F.S.C., MHA

Shri Bhojraj Rambhau Gahane
Jr. Demonstrator
N.F.S.C., MHA

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Fire Service Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 94-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the Fire Service Medal for Meritorious Service to the under mentioned officers:—

Shri Abdur Rahman
Station Officer
Assam

Shri Bhuban Chandra Basumatary
Sub Officer
Assam

Shri Prabin Kumar Haloi
Fireman
Assam

Shri Raj Narayan Pandey
Driver
Assam

Shri Atul Garg
Divisional Officer
Delhi

Shri Than Singh Sharma
Divisional Officer
Delhi

Shri Prem Sigh Dahiya
Asstt. Divisional Officer
Delhi

Shri Madhab Kumar Chattopadhyay
Station Officer
Delhi

Shri Ashok Kumar Sharma
Sub Officer-760
Delhi

Shri Rattan Singh
Leading Fireman-851
Delhi

Shri Satyawan
Leading Fireman-86/50
Delhi

Shri Devinder Dutt Sharma
Sub Fire Officer
Himachal Pradesh

Shri Nisar Ahmed
Fire Station Officer
Karnataka

Shri K. Lingegowda
Fire Station Officer
Karnataka

Shri B.M. Nandeshwaraiah
Asstt. Fire Station Officer
Karnataka

Shri G. Rangaswamaiah
Asstt. Fire Station Officer
Karnataka

Shri N. Govardhan
Asstt. Fire Station Officer
Karnataka

Shri K. Yesu
Asstt. Fire Station Officer
Karnataka

Shri K. Narayanappa
Fireman Driver-654
Karnataka

Shri Sathyan Pennaparambil Kutty
Deputy Director (Admn)
Kerala

Shri Varghese Munda Puzhaulhannan
Asstt. Divisional Officer
Kerala

Shri Muraleedharan Pattathil
Leading Fireman
Kerala

Shri Ananta Charan Sethi
Deputy Fire Officer
Orissa

Shri Prasanna Kumar Parhi
Asstt. Fire Officer
Orissa

Shri Sankha Marandi
Havildar Major
Orissa

Shri Ganeswar Sahoo
Driver Havildar
Orissa

Shri Ramendra Kumar Sarangi
Leading Fireman
Orissa

Shri Sunil Kumar Mohanty
Fireman
Orissa

Shri Topden Bhutia
Sub Fire Officer
Sikkim

Shri Vadachery Ramakrishnan Karunanidhi
Divisional Officer
Tamil Nadu

Shri Muthiah Ayyarsamy
Divisional Officer
Tamil Nadu

Shri Arumugam Dhanavelu
Station Officer
Tamil Nadu

Shri Sudaliyandi Konar Sundaravana Perumal
Leading Fireman-3587
Tamil Nadu

Shri Loganathan Sukumaran
Leading Fireman-3905
Tamil Nadu

Shri Ponnuswamy Subramani
Driver Mechanic-3845
Tamil Nadu

Shri Chinnaji Rao Sivaji Rao
Driver Mechanic-3330
Tamil Nadu

Shri Hentry Mascranas Thinagaran
UGR. Station Officer-3326
Tamil Nadu

Shri Subbaiah Pillai Somu
Fireman Driver-3336
Tamil Nadu

Shri Durairaj Ramasubramanian
Fireman Driver-3342
Tamil Nadu

Shri Jaganathan Kothandapani
UGR. Leading Fireman-3828
Tamil Nadu

Shri Kitherian Fernando Cruz Vincent Robert
Fireman-4026
Tamil Nadu

Shri Krishnan Shanmugam
UGR. Leading Fireman-4259
Tamil Nadu

Shri Hara Lal Sarkar
Station Officer
West Bengal

Shri Tapan Kumar Jana
Station Officer
West Bengal

Shri Abhijit Kumar Deb Roy
Mobilising Officer
West Bengal

Shri Dilip Kumar Nandy
Fire Engine Operator Cum Driver
West Bengal

Shri Neeraj Sharma
Chief Manager (Fire Service)
ONGC, M/O Pet. & Natural Gas

Shri Lakhi Ram Dutta
Fire Officer
ONGC, M/O Pet. & Natural Gas

Shri Nirendra Chandra Das
Asstt. Chief Inspector (Fire)
ONGC, M/O Pet. & Natural Gas

Shri Rajendra Kumar
Dy. Chief Fire Officer 'B'
Deptt. of Atomic Energy

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Meritorious Service.

BARUM MITRA
Jt. Secy.

No. 95-Pres/2009—The President is pleased to award the President's Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of Maharashtra Fire Service:—

Shri Nandkumar Sahdev Palange
Driver

On 19th September, 2008 four incidents of flash floods in the Godavari river bank, Asharam Bapu Ashram and Gangajal area of Nashik occurred at 1600 hrs, 1630 hrs, 1730 hrs and 2100 hrs resulting in flood water upto 30ft above the bank suddenly entering the houses nearby. Immediately, the Nashik Fire Brigade staff with rescue vehicles rushed to the spot.

2. On reaching the scene of incident it was observed that five men were found stranded on trees to take shelter and struggling to save their lives. Driver, Shri Palange without caring for his life, jumped into roaring water and attempted four times to cover distance of about 200 to 300ft away in pitch dark night time by swimming through many obstacles and rescued all the five men safely.

3. Driver Shri Nandkumar Sahdev Palange thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

4. This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the rules governing the award of President's Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under Rule 5(a) w.e.f. 19th September, 2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 96-Pres/2009—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officer of Orissa Fire Service:—

Shri Basanta Kumar Ghadei
Fireman No. 1578

On 30th August, 2008 at 2025 hrs a special call was received at Cuttack Fire Station regarding drowning of one person in River Kathajodi, Immediately, one unit of Cuttack Fire Station along with crew rushed to the spot.

2. On arrival it was seen that one person named Shri Devi Prasad Das, aged about 24 years had fallen down from Kathajodi River Bridge on Bhubaneswar Cuttack road and was in the water holding a pillar struggling for his life. Immediately, Shri Ghadei with the help of rope ladder, lifebuoy and rescue line scaled down to rescue the trapped person. But unfortunately by the time Shri Ghadei reached the trapped person, he was swept away by the strong current of water. Shri Ghadei putting his own life at risk, jumped into the water with a lifebuoy and swam near the drowning person. With much difficulty he rescued the person who was in unconscious state. Shri Devi Prasad Das was given First-Aid treatment and transported to the S.C.B. Medical College and Hospital, Cuttack for further necessary treatment. The rescuer Shri Ghadei who was feeling uneasy was also sent to the Police Hospital, Cuttack for necessary check up.

3. Fireman Shri Basanta Kumar Ghadei thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

4. This award is made for gallantry under Rule 3(i) of the rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special

allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 30th August 2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 97-Pres/2009—The President is pleased to award the Fire Service Medal for Gallantry to the undermentioned Officers of Maharashtra Fire Service:—

Shri Anil Vishnu Sawant
Chief Fire Officer

Shri Pratap Damodar Karguppikar
Joint Chief Fire Officer

Shri Sudhir Gopal Amin
Asstt. Divisional Fire Officer

Shri Kaitan Francis Dsouza
Station Officer

Shri Sanjay Waman Rane
Station Officer

Shri Moses Ezekiel Pugaonkar
Driver Operator

Shri Yuvraj Dhanjirao Pawar
Fireman

During a Terrorist strike as a result of large number of explosions, major fires occurred in the Trident Hotel, N.S.B. road, Nariman point, Mumbai, Taj Palace, Apollo Bunder road, Mumbai, and at CST Railway Station between 26th-28th November, 2008. Putting their lives to great risk Shri Anil Vishnu Sawant, Chief Fire Officer and other officers and men of Mumbai Fire Brigade mentioned above were engaged at various locations despite heavy cross firing to fight fires and rescuing the trapped innocent people. The brave acts of these officers and men fighting fires and rescuing people from upper floors with the help of tall rescue ladders and other equipments was witnessed and appreciated by public through electronic media.

2. Chief Fire Officer Shri Anil Vishnu Sawant, Joint Chief Fire Officer Shri Pratap Damodar Karguppikar, Asstt. Divisional Fire Officer Shri Sudhir Gopal Amin, Station Officer Shri Kaitan Francis Dsouza, Station Officer Shri Sanjay Waman Rane, Driver Operator Shri Moses Ezekiel Pugaonkar and Fireman Shri Yuvraj Dhanjirao Pawar thus displayed conspicuous gallantry, leadership, exemplary courage, professional expertise and devotion to duty of a very high order.

3. These awards are made for gallantry under Rule 3(i) of the Rules governing the award of Fire Service Medal for Gallantry and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5(a) w.e.f. 26th November, 2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 98-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service to the under mentioned officers :—

Shri Sant Kumar Tanwas
Inspecting Officer (HG)
Delhi

Dr. Manohar Lal Gupta
Divisional Warden (CD)
Delhi

Shri Arvind Kumar Jain
Dy. Chief Warden (CD)
Delhi

Shri Shiva Shankara M.N.
Commandant (HG)
Karnataka

Shri Paras Ram Banjara
Coy. Commander (HG)
Madhya Pradesh

Shri Vivekanand Nersing Yate
Quarter Master Subedar (HG)
Maharashtra

Shri Martin Lyngdoh
Commander (BWHG)
Meghalaya

Shri Shriom Tiwari
Platoon Commander (HG)
Uttar Pradesh

Shri Dharampal Garg
Chief Warden (CD)
Uttar Pradesh

Shri Anil Kumar
Chief Warden (CD)
Uttar Pradesh

Shri Kailash Dan Charan
Divisional Inspector (CD)
Railways

Shri Subhamoy Ghosh
CD Volunteer
Railways

Shri Gurdev Singh Saini
Director
NCDC, Nagpur

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 99-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

Shri Bishnu Prasad Kalita
Divisional Warden (CD)
Assam

Shri Ranjit Kumar Sinha
Sr. Divisional Commandant (HG)
Bihar

Shri Harinath Jha
Commandant (CTI)
Bihar

Shri Mahender Singh Singhal
Coy. Commander (Paid)
Delhi

Shri Tej Bahadur Lama
Pipe Bandman (HG)
Delhi

Shri Pujnabhai Khemabhai Bhagora
Coy. Sargeant Major (HG)
Gujarat

Shri Dineshkumar Kalidas Valand
Sr. Pl. Commander (HG)
Gujarat

Shri Jethabhai Revabhai Makawana
Sr. Pl. Commander (HG)
Gujarat

Shri Harendrasinh Bapusinh Zala
Coy. Commander (HG)
Gujarat

Shri Jivabhai Maganbhai Garo
Sr. Pl. Commander (HG)
Gujarat

Shri Rach Pal Nepta
Coy. Commander (HG)
Himachal Pradesh

Shri Alok Nanda
Post Warden (CD)
Jammu & Kashmir

Shri Basavaraj Andanappa Gularaddi
Commandant (HG)
Karnataka

Shri Venkatachalaiah Mariyappa Hosakore
Pl. Commander (HG)
Karnataka

Shri P. L. Bhate
Sr. Pl. Commander (HG)
Karnataka

Shri N. S. Lakshminarasimha
Second-in-Command (HG)
Karnataka

Shri B. V. Nagesh
Coy. Commander (HG)
Karnataka

Shri Revana Siddeshwara
Pl. Commander (HG)
Karnataka

Shri K. S. Sridhara
Pl. Commander (HG)
Karnataka

Shri A. M. Srinivasa
Dy. Commandant (HG)
Karnataka

Shri Syed Javed
Distt. Commandant (HG)
Madhya Pradesh

Shri Harish Chandra Gaur
Coy. Commander (HG)
Madhya Pradesh

Shri Veerpal Singh Bhadoria
Sub-Inspector (M)
Madhya Pradesh

Shri Bhika Vitthal Sonawane
Officer Commanding (HG)
Maharashtra

Shri Subhash Narayan Ghole
Sr. Pl. Officer/Admn. Officer (HG)
Maharashtra

Shri Bhatu Pundalik Shelar
Coy. Commander (HG)
Maharashtra

Shri Mobinur Habibur Rahman
Pl. Commander (HG)
Maharashtra

Shri Priya Vilas Khedkar
Hony. Instructor (CD)
Maharashtra

Shri Manohar Ananda Gade
Sr. Staff Officer (I)
Maharashtra

Shri Ravindra Narayan Kudi
Sr. Asstt. Dy. Controller (CD)
Maharashtra

Shri Ramchandra Vishnu Desai
Fire/Rescue Leader
Maharashtra

Shri Sniawbhalang Rangad
Dy. Controller (CD)
Meghalaya

Shri Omar Thomson Shangpliang
Asstt. Dy. Controller (CD)
Meghalaya

Shri Arun Kumar Pattanaik
CD Volunteer
Orissa

Shri Saharia Chhura
CD Volunteer
Orissa

Shri Bhola Nath Mehta
Dy. Chief Warden (CD)
Punjab

Shri Surinder Pal
Coy. Commander (HG)
Punjab

Shri Puran Singh Shekhawat
Dy. Commandant (HG)
Rajasthan

Shri Mool Chand Verma
Coy. Commander (HG)
Rajasthan

Shri R. P. Ramamoorthy
Pl. Commander (HG)
Tamilnadu

Shri K. B. Gnanasekaran
Asstt. Pl. Commander (HG)
Tamilnadu

Shri P. R. Baskaran
Coy. Commander (HG)
Tamilnadu

Shri D. Ranganathan
Pl. Commander (HG)
Tamilnadu

Smt. M. Bangarammal
Pl. Commander (HG)
Tamilnadu

Shri Ramendra Biswas
Home Guard
Tripura

Smt. Sikha Guha
Home Guard
Tripura

Shri Ravindra Nath Pandey
Divisional Warden (CD)
Uttar Pradesh

Shri Sudhir Kumar Saxena
Divisional Warden (CD)
Uttar Pradesh

Shri Kartik Chandra Haldar
CD Volunteer
Railways

Dr. Mukund Govind Athawale
Dy. Director (Medical)
NCDC, Nagpur

2. These awards are made under Rule 3(ii) of the rules governing the award of Home Guards & Civil Defence Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 100-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the President's Home Guards & Civil Defence Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Maharashtra Home Guards :—

Shri Uttam Vishnu Sasulkar
Home Guard

Shri Vishweshwar Sishupal Pacharane
Home Guard

On 26th November, 2008 they were performing security duty from 8.00 P.M. at Chhatrapati Shivaji Railways Terminus, Mumbai. Suddenly at 9.40 P.M. terrorists started firing indiscriminately on the public present on the platforms in the terminus which caused chaos and anarchy among the people in the terminus as the real picture of attack was not clear. They assessed the gravity of the situation and become alert and vigilant. They courageously started directing the people to move towards safe places and vacate the platform. Despite the burst firing of AK-47 by the terrorists around, they continued guiding the people to safety by watching the movements of the terrorists at grave risk to their own lives. In pursuit of their efforts to save lives of people they received serious bullet injuries in the firing by the terrorists.

2. Shri Uttam Vishnu Sasulkar, Home Guard and Shri Vishweshwar Sishupal Pacharane, Home Guard thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership and devotion to duty of a very high order.

3. These awards are made for gallantry under Rule 3(ii) of the rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for gallantry and consequently carries with it lumpsum monetary grant admissible under Rule 5.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 101-Pres/2009—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the President's Home Guards & Civil Defence Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Maharashtra Civil Defence :—

Shri Prakash Raosaheb Deshmukh
Asst. Dy. Controller (Fire), Civil Defence

Shri Ramchandra Vishnu Desai
Leader (Fire & Rescue), Civil Defence.

Shri Baburao Ramakant Tamnekar
Fireman/Rescuer (Civil Defence)

Shri Rajendra Baban Lad
Fireman/Rescuer (Civil Defence)

On 27th November, 2008 at 11.00 A.M., when they were on duty they received a call from Civil Defence Control Room about terrorists attack on the Taj Hotel. They immediately rushed to the Hotel Taj. On reaching Hotel Taj, they did excellent work of rescuing people & removing casualties to clear the way for NSG commandos for taking action against the terrorists at the Taj Hotel. Despite firing by AK-47 by the terrorists, they continued their rescue work under instructions of NSG & ATS at grave risk to their own lives. By making sincere efforts they saved the lives of several people. They also participated in fire fighting operation at Taj Hotel alongwith the Mumbai Fire Brigade. Inspite of intermittent grenade attack, they continued their work of fire fighting alongwith the Mumbai Fire Brigade. They were engaged in these activities continuously for more than 52 hours (from 11.00 A.M. on 27th November to 3.00 P.M. on 29th November, 2008), with very little sleep and rest in between, without caring for personal safety.

2. S/Shri Prakash Raosaheb Deshmukh, Asstt. Dy. Controller (Fire) Civil Defence, Ramchandra Vishnu Desai, Leader (Fire & Rescue) Civil Defence, Baburao Ramakant Tamnekar, Fireman/Rescuer, Civil Defence and Rajendra Baban Lad, Fireman/Rescuer, Civil Defence thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership and devotion to duty of a very high order.

3. These awards are made for gallantry under Rule 3(ii) of the Rules governing the award of President's

Home Guards & Civil Defence Medal for gallantry and consequently carries with it lumpsum monetary grant admissible under rule 5.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 102-Pers/2009—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the President's Home Guards & Civil Defence Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Maharashtra Civil Defence:—

Shri Rajaram Namdeo Kadam
Leader (Fire & Rescue) Civil Defence
Shri Pralhad Moreshwar Mhatre
Fireman/Rescuer (Civil Defence)

On 26th November, 2008 at 9.30 P.M., when they were on duty they received a call from Civil Defence Control Room about terrorists attack at CST Railway Station. They immediately rushed to the CST Railway Station. By the time they reached there, the terrorist had moved towards Cama Hospital & many people were lying dead & injured at CST Railway Station. They assisted several seriously injured persons and shifted them to the hospital. They thereafter received another call from the Control Room regarding the terrorist attack on Taj Hotel and received instruction to go to Taj Hotel. They performed excellent work by rescuing people & removing casualties to clear the way for NSG commandos for taking further action against the terrorists at the Taj Hotel. Despite the firing by AK-47, by the terrorists, they continued their rescue work under instruction of NSG & ATS at grave risk to their own lives. Their sincere efforts saved the lives of several people. They also participated in fire fighting operations at the Taj Hotel alongwith the Mumbai Fire Brigade. They were engaged in these activities continuously for more than 65 hours, from 9.30 P.M. on 26th November to 3.00 P.M. on 29th November, with very little sleep and rest in between, without caring for personal safety.

2. S/Shri Rajaram Namdeo Kadam, Leader (Fire & Rescue) Civil Defence and Pralhad Moreshwar Mhatre, Fireman/Rescuer (Civil Defence) thus displayed conspicuous gallantry, exemplary courage, leadership and devotion to duty of a very high order.

3. These awards are made for gallantry under Rule 3(ii) of the Rules governing the award of President's Home Guards & Civil Defence Medal for Gallantry and consequently carries with it lumpsum monetary grant admissible under Rule 5.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 103—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the Tatrakshak Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers:—

(i) Deputy Inspector General Ashok Kumar (4005-C)

(ii) Commandant Manoj Kumar Padhi (5025-S)

2. The Tatrakshak Medal (Meritorious Service) award is made under 11 (ii) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Joint. Secy.

No. 104—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the Bar to Tatrakshak Medal for Gallantry to Commandant Deepak Sharma, TM (0332-D).

CITATION

Commandant Deepak Sharma, TM (0332-D) Joined Indian Coast Guard on 12 July 1992 as Assistant Commandant is Executive Branch.

2. On 25th June, 2009 the 850 Squadron (Coast Guard), Porbander was tasked for Search and Rescue (SAR) mission for missing crew of MSV Safina Husseini and MSV Khwaja-Al-Karam, reported sunk off Gujarat coast. The weather was stormy with gusting wind. After 30 minutes of intensive aerial search, communication was established with MV Safina Husseini. The vessel was 25 nautical Miles off the coast line. Since winching up by helicopter was not feasible, Commandant Deepak Sharma vectored the Coast Guard ship in area and maintained helicopter close to the position. The Indian Coast Guard Ship

Sangram arrived on scene and rescued all the 11 survivors.

3. On 26 June 2009, Coast Guard Helicopter-581 was launched again for SAR of MSV Khawaja-Al-Karam. The sea-air co-ordinated search resulted in locating 09 survivors clinging to debris. The officer decided to winch up the survivors. But during the winching operation, Tail Rotor Vibration Warning System (TRVWS) Amber light illuminated, indicating an impending emergency. A prompt action was necessary to save the helicopter. Despite rough sea conditions and non-qualified for deck landing of Dhruv, the officer executed a perfect landing on board ICGS Sangram in area.

4. The dedication, approach, devotion and professionalism desplayed in trying circumstances by Commandant Deepak Sharma, TM (0332-D) are in keeping with the highest traditions of any maritime service and therefore he is awarded the Bar to Tatrakshak Medal (Gallantry).

5. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 105—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Deputy Commandant Arvind Kumar Tyagi, (0603-S).

CITATION

Deputy Commandant Arvind Kumar Tyagi (0603-S) Joined Indian Coast Gaurd on 15 July 2002 as Assistant Commandant in the Executive Branch.

2. Based on the impressive performance, he was selected for command of Interceptor vessel C-140 on 26 June 2008. On 08 January 2009 at 1045 hrs, intelligence input reported sighting of an unidentified boat with a number of foreign nationals. The officer got the ship ready in record time and sailed within 15 minutes. The officer braved the unfavourable sea conditions and sighted the boat with 61 illegal Bangladeshi immigrants, who had departed from Cox Bazar, Bangladesh at 2345 hrs on 01 January 2009 with an intention to migrate to Malaysia through Thailand. Since there were only 06 personnel present onboard ship, it was a tough decision to apprehend the 61 Bangladeshis. The officer with his courage took the calculated risk and apprehended all the illegal immigrants alongwith the boat.

3. Despite the fact that IBs are not suitable for towing operation in very rough weather, especially during night, he displayed sound leadership qualities in towing the boat to the Port Blair. The boat alongwith 61 Bangladeshi was handed over to the Port Blair Police.

4. The officers's devotion to duty was once again witnessed post 26/11 Mumbai attacks when he undertook streamlining the registration of unregistered fishing boats as an effort to enhance coastal security of Andman & Nicobar Islands. The officer apprehended 12 unregistered boats with 36 crew. The officer's initiative compelled the Andman & Nicobar administration to issue firm directives to Government Agencies.

5. Deputy Commandant Arvind Kumar Tyagi (0603-S) has accredited himself well and therefore he is awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 106—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the Tatrakshak Medal for Gallantry to Manish, Navik (QA-II), (05211-T).

CITATION

Manish, Navik (QA-II) (05211-T) joined Indian Coast Guard on 01 February 2005 as a Navik in General Duty Branch.

2. On 25th June 2009, Indian Coast Guard Ship Sangram was on a routine patrol off Gujarat Coast. The ship received a distress message regarding two sinking vessels MSV Safina Huseini and MSV Khwaja-Al-Karam and the crew abandoning the vessel.

3. Despite the stormy weather, Manish Navik (QA-II) dared to approach ship's Gemini and test started the Out Board Motors. He thereafter, prepared two Gemini crafts for rescue operation. The ship located MSV Safina Huseini, but all attempts to pass life-lines either by hand or by Line Throwing rifle proved futile. He quickly held two bags consisting of a total of 11 lifejackets and rushed to the helo deck to throw the bags to the desperately waiting crew. The Navik threw both bags just in time as the boat was about to drift away from the ship.

4. He then supervised launching of two Gemini crafts for simultaneous dispatch to the distress vessel so that all 09 crew afloat and desperate could be rescued in the shortest possible time. Being a diver himself, he reduced number of personnel in the rescue boat so that maximum survivors could be rescued.

5. The strong determination, focused approach with sense of timing and presence of mind exhibited in adverse weather condition by Manish, Navik (QA-II) (05211-T) for rescue of 20 survivors are in highest traditions of the service and he is therefore awarded the Tatrakshak Medal (Gallantry).

6. The Tatrakshak Medal (Gallantry) award is made under Rule 11(i) of the rules governing grant of Tatrakshak Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under Rule 13 in respect of Coast Guard personnel who have received the Tatrakshak Medal (Gallantry) award.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 107-Pres./2009-The President is pleased, on the occasion of the Independence Day, 2009, to award the President's Correctional Service Medal for Distinguished Service to Shri Prafulla Kumar Sahu, Jailor-cum-Superintendent, Patnagarh Sub-Jail, Orissa.

2. This award is made under rule 4 of the rules governing the grant of President's Correctional Service Medal for Distinguished Service.

BARUN MITRA
Joint Secy.

No. 108-Pres/2009—The President is pleased, on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the Correctional Service Medal for Meritorious Service to the following prison personnel :—

Shri Govardhan Singh Shori
Deputy Jailor
District Jail, Mahasamund
Chhattisgarh.

Shri Tilak Chand Kachlariya
Warder
Central Jail, Durg
Chhattisgarh.

Shri Vijay Goswami
Deputy Superintendent
Central Jail, Tihar,
New Delhi

Shri Pradeep Sharma
Deputy Superintendent
Central Jail No. 2, Tihar,
New Delhi.

Shri Bhojraj Pradhan
Head Warder
Sambalpur Circle Jail
Orissa.

Shri Arjuna Mallick
Warder
Dhenkanal District Jail
Orissa.

Shri Pema Wangyal Bhutia
Assistant Sub Jailor
Central Prison, Rongyek
Sikkim.

Tr. R. Duraisamy
Deputy Inspector General of Prisons
Chennai Range
Tamilnadu

Tr. P. Govindarajan
Additional Superintendent of Prisons
Central Prison, Coimbatore
Tamilnadu

Tmt. I. Subbulakshmi
Chief Head Warder
Female Special Sub-Jail, Kokkirakulam,
Tamilnadu.

2. These awards are made under Rule 4(iii) of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for Meritorious Service.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 109-Pres/2009—The President is pleased, on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the President's Correctional Service Medal for Gallantry to Shri Lala Roy posted as Warder in District Jail Jowai, Meghalaya posthumously.

Statement of services for which decoration has been awarded :

On September 13, 2008 at around 7.40 A.M., Shri Lala Roy, Warder opened the lock of the outer latch of inner gate of District Jail, Jowai to facilitate change of duty of warders. Suddenly 12 inmates, who has hatched the conspiracy to escape from the jail, rushed towards the main gate and forced it open. Warder Lala Roy in his effort to prevent their escape was attacked and overpowered by these inmates. In his valiant efforts to grapple with these inmates and to prevent their escape, Shri Roy received bodily injuries. Even though, he was hurt badly, he continued to struggle with them and raised an alarm for help. His shouts alerted the security forces guarding the jail premises and the escape was foiled. Shri Lala Roy who was grievously injured in the attack, later succumbed to his injuries.

2. While posted as Warder at District Jail Jowai, Shri Lala Roy had performed his duties with honesty, bravery of the highest tradition of uniform till his last breath and thus he followed the highest sacrifice "Sacrifice unto Death".

3. This award is made under rule 4(iv) of the rules governing grant of President's Correctional Service Medal for Gallantry and consequently carries with it the Special allowance as is admissible under the rules with effect from the 13th September, 2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

No. 110-Pres/2009—The President is pleased, on the occasion of the Independence Day, 2009 to award the President's Correctional Service Medal for Gallantry to Shri Siama Siamtea Siamnghilhlova, Warder Central Jail Aizawl, Mizoram.

Statement of services for which decoration has been awarded :

On 22-07-2008, two criminals escaped from the Central Jail, Aizawl. Search parties were sent by the Special Superintendent of Jail Aizawl to apprehend these criminals. While carrying out the search operations at a hide out where these criminals were hiding, Shri Siama Siamtea Siamnghilhlova forcibly opened the door of the house and charged these criminals without any arms and captured one of them with his bare hands.

2. Shri Siama Siamtea Siamnghilhlova has thus displayed disciplinary gallantry, courage and devotion to duty.

3. This award is made under rule 4(iv) of the rules governing grant of President's Correctional Service Medal for Gallantry and consequently carries with it the Special allowance as is admissible under the rules with effect from the 22-07-2008.

BARUN MITRA
Jt. Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 5th November 2009

No. PFG (705)/2009-Admn.II.—In exercise of the powers conferred by Clause (ii) of Sub-Section (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby authorize Smt. Sukanya Narasimhan, Assistant Director in the Office of Regional Director (Southern Region), Ministry of Corporate Affairs, Chennai for the purpose of the said section.

J. S. GUPTA
Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 29th October 2009

No. F.4-1/2009-U-3.—Whereas the Indian Council of Philosophical Research (ICPR), New Delhi was reconstituted on 19th September, 2009 under Rule 3 of the MOA & Rules of the Indian Council of Philosophical Research;

And whereas, Prof. Mrinal Miri was nominated as a Member of the Council by the Government;

And whereas, Prof. Mrinal Miri has expressed his inability to join as a Member of the Council, a vacancy has since arisen.

Accordingly, in accordance with the provision of Rule 3(c), read with Rule 5(3), of the MOA & Rules of the Indian Council of Philosophical Research, the Government of India hereby nominates Prof. Sujata Miri as a Member of the Council in place of Prof. Mrinal Miri, for the unexpired period of the term of the membership.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for information.

UPAMANYU BASU
Dir. (ICR)

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 5th November 2009

RESOLUTION

No. F.12-30/2006-A&A.—The Government of India hereby reconstitutes the National Advisory Committee for the Anthropological Survey of India with the following composition, to advise it on the programmes of research, surveys and other activities :—

MEMBERS :

1. Secretary, Ministry of Culture, Shastri Bhavan, New Delhi. — Chairman
2. Dr. I. J. S. Bansal, President, Punjab Academy of Sciences, 50, Raghbir Nagar, Patiala-147001, Punjab. — Member
3. Dr. Indira Barua, Professor, Department of Anthropology, Dibrugarh University, Dibrugarh-786004, Assam. — Member
4. Dr. D. K. Bhattacharya, Retired Professor of Anthroplogy, University of Delhi, 33, Uttaranchal Society, 5-Patparganj, Delhi-110092. — Member
5. Dr. Ajit K. Danda, Member Secretary, INCAA, 225, Kadam Kanon, Jhargram-721507, West Bengal. — Member
6. Dr. Pradipta Kishor Das, Professor Department of Anthropology, Utkal University, Bhubneswar-751004, Orissa. — Member
7. Dr. Rajat Kanti Das, Professor Emeritus Vidya Sagar University Flat 2A, Bani Apartment, 9A, S.M. Pandey Sarani, Barrackpore-720120, West Bengal. — Member
8. Dr. C. G Hussain Khan, Chairman and Professor, Department of Anthropology, Karnatak University, Dharwad-580003, Karnataka. — Member
9. Dr. Kamal K. Mishra, Professor, Department of Anthropology, University of Hyderabad, Hyderabad-500046, Andhra Pradesh. — Member
10. Dr. K. Saratchandra Singh, Professor Emeritus Department of Anthropology, Manipur University, SIKA School Complex, Loklavbung, Imphal-795001, Manipur. — Member
11. Dr. Indu Talwar, Professor Department of Anthropology, Punjab University, Chandigarh-160014, Chandigarh. — Member

Ex-officio Members :

1. Professor and Head of the Department Department of Anthropology, Delhi University, Delhi-110007. — Member
2. Director, Department of Archaeology, Deccan College Research Institute, Pune-411006. — Member

3. Director General, Archaeological Survey of India, Janpath, New Delhi-110011. — Member

4. Director General, Indian Council of Medical Research, Ansari Nagar, Post Box No. 4911, New Delhi-110029. — Member

5. Member Secretary, Indian Council of Social Science Research, Aruna Asif Ali Marg, Post Box No. 10528, New Delhi-110067. — Member

6. Secretary, Department of Biotechnology (DBT), Block-II, CGO Complex, Lodi Road, New Delhi-110003. — Member

7. Advisor (SC/ST), Planning Commission, 454, Yojna Bhavan, New Delhi-110001. — Member

8. Direcor, Anthropological Survey of India, 27, Jawaharlal Nehru Road, Kolkata-700016. — Member Secretary

Terms of Reference of the Advisory Committee :

(i) To review the programme of research, surveys and other activities of the Anthropological Survey of India from time to time and to make recommendations to the Government upon them.

To recommend specific measure for collaboration between the Anthropological Survey of India and National and International University Departments and institutions with particular reference, to co-operative research subjects, exchange of personnel, special studies, seminars, symposia and publications; and

(ii) To advise on all other matters that might be specifically referred to it by the Government.

2. The terms of office of Members of the Advisory Committee shall be five years from the date of publication of this resolution in the Gazette of India. The Government may, however, terminate the membership of any member before the completion of the term without assigning any reason or may reconstitute the Advisory Committee in its entirely.

3. The Committee shall meet as often as necessary but atleast once every quarter. In case this is not possible, the Director, Anthropological Survey of India, as Member-Secretary, shall in good time apprise the Chairman of the circumstances and obtain his permission beforehand for not holding the Advisory Committee's prescribed quarterly meeting.

4. In case the Chairman is unable to preside over the meeting due to unforeseen circumstances, it shall be presided over by the Joint Secretary dealing with the Archives and Anthropology Division in the Ministry of Culture. In his absence, the meeting may be presided over by eminent anthropologist, Dr. Ajit K. Danda.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

VARSHA SINHA
Under Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2009
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2009